ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.19, No.3, July – Sept. ,2024/20

''महिला सशक्तिकरण एवं पंचायतीराज व्यवस्था''

डॉ0 रेनू गुप्ता, असि0प्रोफे0–समाजशास्त्र, डी0एस0एन0 पी0जी0 कालेज, उन्नाव (उ0प्र0)
https:// 10.61410/had.v19i3.199

शोध–सार

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश का जनमानस एक सम्प्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा संघीय संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। संविधान ने पुरूषों के समान ही महिलाओं को भी राजनीतिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया है साथ ही साथ जाति, धर्म, वर्ग, शिक्षा एवं समपत्ति के आधार पर बिना भेदभाव के दश के सभी नागरिकों को मताधिकार का भी अधिकार दिया है।[1] महिलाओं की ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने तथा महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु सर्वप्रथम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम–1992–93 लागू कर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर घर की चाहरदिवारी से बाहर निकाल कर उन्हें राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ–साथ सामाजिक सशक्तिकरण का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। आरक्षण का प्रावधान कर सरकार द्वारा महिलाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक पटल की मुख्य धारा में सम्मिलित कर अवसर की समानता की गारण्टी भी प्रदान करना है।

शब्द संकेत – सशक्तिकरण, परिदृश्य, गतिशील, आरक्षण, मानसिकता लोकतांत्रिक प्रणाली, नारी विमर्श, कलेवर, प्रतिमान, ग्राम–स्वराज, भागीदारी ।

शोध–पत्र

स्वतंत्रता के 46वर्ष पश्चात् तक इस देश में ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति एक ऐसे माध्यम से पूरी करने का प्रयास कयिा जाता था, जिसमें जनसमुदाय शान्त स्वभाव के अनुरूप विकास के प्रयासों को स्वीकार कर लेते थे, वैसे स्थानीय स्तर पर प्रयास कम दिखाइर्द पड़ता है। नगरीय क्षेत्र में तो चिकित्सा, प्रशासन, विज्ञान, कानून एवं कला के क्षेत्र में तो महिलाओं को प्रवेश मिल गया था, किन्तु ग्रामीण जीवन में महिलाओं के प्रति कोई विशेष प्रयास दृष्टिगत नहीं होता है। भारतीय संविधान के 75वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था न सम्पूर्ण ग्रामीण परिदृश्य ही परिवर्तित कर दिया।[2]

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की प्रस्थिति को सुदृढ़ बनाने के साथ–साथ सुधार व्यवस्था को गतिशील बनाने का अवसर संविधान के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है, किन्तु महिलाों के संदर्भ में यह प्रयास कमजोर रहा। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता अत्यन्त निम्न रही, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हेतु 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत महिलाओं को पंचायतीराज में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया।[3]

भारत की ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने हेतु एकरूपता स्थापित करने के लिए संसद द्वारा दिसम्बर 1992 में 73वें संशोधन को स्वीकार किया गया तथा इस अधिनियम को 1993 में लागू किया गया। इस अधिनियम में नागालैण्ड, मेघालय, और मिजोरम जैसे राज्य में तथा कुछ अन्य निर्दिष्ट क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में और केन्द्रशासित प्रदेश में स्वायत्त शासन व्यवस्था की इकाइयों के रूप में पंचायत व्यवस्था स्थापित करने का विधान किया गया है।[4]

73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के पश्चात् महिलाओं में राजनीतिक विचार का जो अंकुरण हुआ था, उससे लाखों महिलाऐं घर की चाहर दीवारी से निकलकर ग्रामीण सामुदायिक व्यवस्था में अपना योगदान दे रही हैं। पुरूष प्रधान समाज में लम्बे समय से उपेक्षा का शिकार रही तथा पुरुषों के निर्देशों पर चलने वाली महिलाओं के लिए पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में आरक्षित पदों पर निर्वाचित होना अत्यन्त सुखद अवसर के रूप में देखा जाता है। आज के परिवेश्ज्ञ में देश के प्रत्येक क्षेत्र और राजनीति के प्रत्येक पायदान पर शासन की ओर अब महिलाओं के हाथों पर है, किन्तु इनमें जिस राजनीतिक चेतना का प्रसार होना चाहिए था अभी भी नहीं हो सका है। शायद इतने समय तक पुरुष सत्ता में जीवन निवर्हन के पश्चात् भी उनमें पुरुषवादी मानसिकता के विपरीत जाने में समस्या हो रही है। इसलिए भी वह आज सशक्तिकरण की आधिकारिणी है।[5]

73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण समुदाय की आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजना को निर्माण और उनके क्रियान्वयन हेतु पंचायतीराज संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार के साथ–साथ उत्तरदात्वि भी सौपें जायेंगे। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित विषय में से जो विषय इन संस्थाओं को सौंपे जायेंगे उनका क्रियान्वयन भी इसी संस्था के माध्यम से होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 की प्रमुख विशेषताऐं निम्नलिखित हैं –

1. ग्राम सभा को पंचायतीराज पद्वति का आधार माना गया है। राज्य विधान मंडल इसे जो काम सौपेंगे और जो इनहें अधिकार देंगे उनके अनुसार यह कार्य करेगी।
2. ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर त्रीस्तरीय पंचायतें होंगी। जिन राज्यों की जनसंख्या 20लाख से अधिक नहीं है, लेकिन उन्हें माध्यमिक स्तर पर पंचायत न बनाने की छूट होगी।
3. प्रत्येक स्तर की पंचायत के सदस्य सीधे चुने जायेंगे, इन चुनावों के लिए निर्धारित प्रदेशिक चुनाव क्षेत्रों से सदस्यों का चुनाव होगा।
4. किसी पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार, इस स्तर की पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों, एवं महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रहेंगे।
5. पंचायत का कार्यकाल 05 वर्ष होगा। 05 वर्ष की अवधि समाप्त होने या पंचायत भंग करन देने की तिथि से 06 माह के भीतर चुनाव अवश्य होने चाहिए।
6. प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग बनाये जायेंगे, जो पंचायतों और राज्यों के बीच वित्तीय संसोघन के बंटवारे और हस्तान्तरण के विषय में सिद्धान्त निर्धारित करेंगे।
7. पंचायतों को सौंपे गये 29 विषयों की ग्यारहवीं अनुसूची संविधान में जोड़ दी गई है।[6]

पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन और भाग–9–क, संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़े गये है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था को तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है।, संविधान में अनुच्छेद 40 से स्प्ष्ट निर्देशों के पश्चात् भी इस दिशा में समुचित कदम नहीं उठाये गये थे। स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए महात्मा गांधी ने अधिक प्रयास किया था। 73वें एवं 74वें संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं की स्थापना करके तथा उन्हें संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान कर अत्यन्त सराहनीय कार्य किया गया है।[7]

यह शाश्वत है कि गाँव में देश की कुल जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जहाँ मुख्य रूप से कृषि से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के माध्यम से जीवन निवर्हन कर रही

है। इन समस्त क्रियाओं में महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। महिलाऐं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की धुरी भी कही जा सकती हैं। ग्रामीण विकास में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है।[8]

महिलाओं को पंचायतीराज व्यवस्था में प्राप्त आरक्षण ने उनके भीतर अब राजनीतिक चेतना का उबाल आया है। उन्हें अब इस बात का स्पष्ट अनुभव हो गया है कि बिना शासन, सत्ता और राजनीतिक भागीदारी प्राप्त किये वह अपनी प्रस्थिति में सुधार नहीं कर सकती है। महिलाओं के लिए एक सशक्त दौर है जिसे हम नारी–विमर्श के रूप में देखते हैं। ग्रामीण समाज के पिछड़े क्षेत्रों को उच्च बनाने में भी महिलाओं की भूमिका स्पष्ट होती है।[9]

महात्मा गाँधी ने कहा था कि महिलाऐं पर्यवेक्षण कार्यों एवं अहिंसा के लिए उड़ाये गये कदमों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होती हैं। वह महिलाओं की सत्ता के पक्षधर थे, उनकी सोंच थी कि महिलाऐं घर परिवार के अतिरिक्त राजनीतिक भागीदारी भी बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकती हैं। महिलाओं ने पंचायत स्तर से लेकर संसद तक राजनीतिक प्रश्नों के बड़े अर्थपूर्णा उत्तर तैयार किये हैं, उन्होंने न केवल उस मान्यता का खण्डन किया है जिसमें लोग कहते थे कि महिलाऐं कमजोर और कोमल हृदय वाली है वह सत्ता का संचालन नहीं कर सकती हैं। बल्कि उन्होंने इस सोंच से बेहतर नये प्रतिमान स्थापित किये हैं।[10]

वर्ष 2015 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की कुल 75 जनपदों, 821 विकास खण्डों एवं 59074 ग्राम पंचायतें थीं। यहां की कुल जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्र) 15 करोड़ 80 लाख, 88460 थी, किन्तु नगरीय विस्तार के चलते उ0प्र0 के पिछले पाँच वर्षो में लगभग 515 गाँवों को नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित कर लिया गया जो ग्राम स्वराज के स्वप्न पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रही है। जहाँ 73वें संविधान संशोधन विधेयक को लगू करते समय पंचायती राज व्यवस्था को एक स्वतंत्र और सम्पूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था जिसका आशय था जिस प्रकार अन्य निका काम करते हैं उसी प्रकार स्वराज भी होना चाहिए। समय परिवर्तन के साथ ही पंचायतों का भी कलेवर बदल रहा है, विकास, तकनीकि तथा नई सोंच से पंचायतें भी उड़ान भर रही हैं। पचपन प्रतिशत से अधिक महिलाऐं पंचायतों की बागडोर अपने हाथों में सम्हाल चुकी हैं। आज पढ़ी लिखी महिलाओं ने गाँवों का कायाकल्प कर दिया है।[11]

पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की बात अवश्य होती है, किन्तु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह भी स्वीकार करना होगा कि महिलाओं का समाजीकरण भी कही न कहीं पंचायतें अवश्य करती हैं, क्योंकि पंचायतें ही ग्रामीण समाज की प्रथम राजनीतिक पाठशाला भी होती हैं। महिलाओं को पंचायतीराज व्यवस्था के त्रिस्तरीय स्वरूप में प्राप्त हुए आरक्षण द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गारण्टी प्राप्त होने से ही महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से सजग भी बनाता है। महिलाऐं अब सामाजिक अन्धविश्वास, रुढ़ियों, रीति–रिवाजों एवं परमपराओं का विरोध कर महिलाऐं अब समाज की गतिविधियों में प्रतिभाग कर रही है, ग्रामीण को समाप्त करते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए अपने सशक्तिकरण के प्रभाव को समाज के समक्ष स्थापित कर रही है।

सन्दर्भ सूची –

1. साधना आर्य एवं अन्य (सम्पादक) नारीवादी राजनीति–संघर्ष एवं मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ0–342

2. पिल्लै, सुधा ; पंचायतीराज द्वारा अधिकार सम्पन्नता (महिला जागृति और सशिक्तकरण अधिकार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर, पृ0–91
3. वही, पृ0–96
4. सिंह, वी0एन0एवं सिंह जनमेजय ; आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, पृ0–112
5. सवलिया वर्मा एवं अन्य ; महिला जागृति सशक्तिकरण, अविष्कार पब्लिशर्स, स्ट्रीब्यूटर्स जयपुर, पृ0–96
6. सिंह, वी0एन0एवं सिंह जनमेजय ; आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, पृ0–112
7. पाण्डेय, जयनारायण ; भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद पृ0–516
8. मोदी, अनीता ; ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं का योगदान, कुरूक्षेत्र नई दिल्ली, अक्टूबर 2009, पृ0–29
9. सिंह, वी0एन0एवं सिंह जनमेजय ; आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, पृ0–113
10. कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली अगस्त 2009, पृ0–23
11. दैनिक हिन्दुस्तान, 07 जुलाई 2021, पृ0–10